सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 30वीं बैठक दिनाँक 27 जनवरी, 2016 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 30वीं बैठक दिनाँक 27 जनवरी, 2016 को अपरान्ह 02:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 हरि शंकर गौड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री रणबीर सिंह, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
3.	श्री अनिल कुमार यादव, कृषि उद्योगपति	सदस्य
4.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
5.	श्री गनेश चन्द्र उर्फ फौजी, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6.	श्रीमती संगीता राहुल, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
7.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	श्री राम चन्द्र सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	प्रौ0 जसवन्त सिंह नेगी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	डा0 एस0के0 सिंह, अपर निदेशक, मेरठ (निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

01/2/16

01/2/16

(2)

प्रस्ताव संख्या 30.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 29वीं बैठक दिनाँक 18 दिसम्बर, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी। श्री महेश कौशिक, श्रीमती संगीता राहुल, श्री गणेश चन्द्र उर्फ फौजी एवं श्री अनिल कुमार यादव द्वारा 29वीं बैठक दिनाँक 18 दिसम्बर, 2015 के कार्यवृत्त पर की गयी आपत्ति के क्रम में CAS के लाभ से वंचित 07 शिक्षकों को लाभ अनुमन्य करने पर विचार–विमर्श कर निम्न प्रकार स्वीकृत किया गया:–

SN	Name	Present Designation	Subject	Present Pay Scale & Grade Pay	Recommendation of Selection Committee			
					Designation	Pay Scale & Grade Pay	Date of Award Pay Scale & Grade Pay	Remark
1	Er. Neelesh Chauhan	Assistant Professor	Agri Engg.	15600-39100(AGP 6000)	Assistant Professor	15600-39100 (AGP 7000)	09.09.2010	Recommended
2	Dr. Krishan Gopal Yadav	SMS/ Asstt. Professor	Agronomy	15600-39100(AGP 7000)	SMS/ Asstt. Professor	15600-39100(AGP 8000)	30.10.2015	Recommended
3	Dr. P.K. Singh	SMS/ Asstt. Professor	Agronomy	15600-39100(AGP 7000)	SMS/ Asstt. Professor	15600-39100(AGP 8000)	24.02.2015	Recommended
4	Dr. Ravindra Kumar	SMS/ Asstt. Professor	Animal Science	15600-39100(AGP 7000)	SMS/ Asstt. Professor	15600-39100(AGP 8000)	23.03.2014	Recommended
5	Dr. S.P. Yadav	Assistant Professor	Animal Science	15600-39100(AGP 7000)	Assistant Professor	15600-39100(AGP 8000)	07.08.2012	Recommended
	नोट– डा0 एस0पी0 यादव के ट्रेनिंग प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराने की शर्त के साथ दिनाँक 07.08.2012 से अनुमन्य किया गया।							

01/2/16

01/2/16

6	Dr. Gaje Singh	Associate Professor	Entomology	37400-67000 (AGP 9000)	Professor	37400-67000 (AGP 10000)	22.03.2011	Recommended
7	Dr. R.S. Sengar	Associate Professor	Agri.Biotech.	37400-67000 (AGP 9000)	Professor	37400-67000 (AGP 10000)	23.12.2011	Recommended

श्री अनिल कुमार यादव, सदस्य मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 29वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या–29.3 के क्रम संख्या–01 एवं बिन्दु संख्या–ख पर अवगत कराया गया कि :–

''किसी सरकारी सेवक का मामला मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उसका पदोन्नति का अधिकार समाप्त नहीं होता है। सेवक पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में आता हो तो पदानोन्नति हेतु उसकी उपयुक्तता पर विचार किया जायेगा। ऐसे विचार करते समय उसके विरूद्ध लम्बित अनुसाशनिक मामले के सिवाय अन्य सभी सेवा अभिलेखों के आधार पर पदोन्नति हेतु उसकी उपयुक्तता पर विचार किया जायेगा।''

निर्णय लिया गया कि श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक के प्रकरण में मा0 कुलाधिपति कार्यालय से विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाये।

01/2/16   01/2/16

(कार्रवाईः कुलसचिव)

6

प्रस्ताव संख्या 30.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 29वीं बैठक दिनाँक 18 दिसम्बर, 2015 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा दिनाँक 18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न 29वीं बैठक की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए निम्न निर्देश दिये गयेः–

28.5 असमायोजित अग्रिम

निर्देश दिये गये कि दिनाँक 30 जून, 2016 तक समस्त अग्रिम समायोजित कर दिये जायें। असमायोजित अग्रिमों पर दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से 12 प्रतिशत ब्याज की वसूली करने के उपरान्त ही समायोजन किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

28.7 विद्वत परिषद की 53वीं बैठक
संकल्प संख्या–08

कुलसचिव द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न करने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। विद्वत परिषद से इस हेतु 03 माह में नीति निर्धारित कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

28.9 निदेशक/अधिष्ठाता के पदों पर तैनाती

व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कुलसचिव/निदेशक/अधिष्ठाता के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर तैनाती मा0 प्रबन्ध परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही की जाये। विश्वविद्यालय में वरिष्ठता सूची तत्काल जारी करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

28.14 अन्य बिन्दु

"पूर्व में सम्पन्न भर्ती परीक्षा निरस्त करते हुए पुनः आवेदन प्राप्त किये जायें तथा पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से पुनः फीस न ली जाये तथा उनसे योग्यता एवं अनुभव संशोधन करते हुए नये आवेदन प्राप्त किये जायें तथा नये आवेदकों से निर्धारित शुल्क लेते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायें। पूर्व में आयोजित की गयी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त

करते हुए तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पदों को प्राथमिकता पर भरने की कार्रवाई की जाये।" उक्त सम्बन्ध में कुलसचिव कार्मिक को 15 दिन के अन्दर कार्रवाई के निर्देश दिये गये थे। अपेक्षित कार्रवाई न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा प्राथमिकता पर तत्काल कार्रवाई हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

2. विश्वविद्यालय परिसर में महापुरूषों की मूर्तियाँ स्थापित की जायें

उक्त के सम्बन्ध में दिनाँक 29 फरवरी, 2016 तक उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः नोडल अधिकारी, निर्माण)

3. विश्वविद्यालय में किसान मेले नियमित रूप से आयोजित किये जायें

विश्वविद्यालय में किसान मेले नियमित एवं अनिवार्य रूप से मार्च तथा अक्टूबर माह में कराये जायें।

(कार्रवाईः निदेशक प्रसार)

5. छात्रावासों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण

छात्रावासों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित/आकस्मिक निरीक्षण कराने पर बल दिया गया तथा निरीक्षण आख्या अनुपालन सहित आगामी मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता छात्र कल्याण)

6. सुरक्षा व्यवस्था

पूर्व में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध न कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा अध्यक्ष, सुरक्षा सलाहकार समिति को तत्काल अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः अध्यक्ष सुरक्षा सलाहकार समिति)

7. डा0 नीलम यादव के बकाया एरियर के भुगतान हेतु

डा0 नीलम यादव को छठे वेतनमान के अनुसार एरियर की देयता का भुगतान 15 दिन के अन्दर करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

01/2/16

01/2/16

प्रस्ताव संख्या–30.3 : वित्त समिति की अष्टम् बैठक के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

वित्त समिति की अष्टम् बैठक दिनाँक 12 जनवरी, 2016 के निणयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा निम्न निर्देश दिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या–8.5 आडिट आपत्तियों की अद्यावधिक स्थिति

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की वर्ष 2001–02 से 2013–14 तक लम्बित 3840 आडिट आपत्तियों में से मात्र 70 का ही निस्तारण कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। आडिट आपत्तियों के निस्तारण में रूचि न लेने वाले शिक्षकों/अधिकारियों/कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी। लेखाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम 50 आपत्तियाँ निस्तारित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर आपत्तियाँ स्थल पर ही निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। महालेखाकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आन्तरिक आडिट के प्रस्तरों को प्राथमिकता पर निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक 15 दिन पर आडिट आपत्तियों को निस्तारित करने हेतु वित्त नियंत्रक कार्यालय में बैठक आहूत करने तथा बैठक में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या–30.4 : वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

(क) वित्त समिति की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन करते हुए अन्तिम लेखे/बैलेंस शीट तैयार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ख) पशुधन अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र फार्म, विश्वविद्यालय की अन्य यूनिटों में हानि के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक/निदेशक अनुसंधान केन्द्र)

10/2/16

11/2/16

प्रस्ताव संख्या–30.5 : वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 का अनुमानित आय–व्ययक।

मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 का आय–व्ययक वित्त समिति की संस्तुति के अनुसार अनुमोदित किया गया।

आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2016–17

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2014–15	आय–व्यय के अनुमान 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान 2015–16	आय–व्यय के अनुमान 2016–17
1	राजस्व प्राप्तियां	5987.34	10120.60	9022.33	11432.57
2	पूँजीगत प्राप्तियां	2352.84	8168.74	5798.20	6582.48
3	**योग (1+2)**	**8340.18**	**18289.34**	**14820.53**	**18015.05**
4	राजस्व व्यय	5339.40	10062.93	8938.18	11262.17
5	पूँजीगत व्यय	2352.84	8168.74	5798.20	6582.48
6	**योग (4+5)**	**7692.24**	**18231.67**	**14738.38**	**17844.65**

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या–30.6 विद्वत परिषद की 55वीं बैठक का कार्यवृत्त दिनाँक 04 जनवरी, 2016 के सम्बन्ध में।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विद्वत परिषद की 55वीं बैठक दिनाँक 04 जनवरी, 2016 की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया। श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक द्वारा जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि:–

"जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के 180 विद्यार्थियों का औद्योगिक भ्रमण का कार्यक्रम संशोधित कर स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किया गया तथा बी–टैक बायोटैक के लगभग 180 विद्यार्थियों को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ परिसर से

[signature] 10/2/16 [signature] 11/2/16

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान तक पैदल ले जाया गया जबकि इस संस्थान में बायोटैक सम्बन्धित कोई उद्योग संचालित नहीं किया जाता है। 180 विद्यार्थियों के औद्योगिक भ्रमण सम्बन्धी क्रेडिट पाठ्यक्रम को उपरोक्तानुसार घोर लापरवाही से संचालित करने से शिक्षण स्तर की गुणवत्ता स्वयं ही परिलक्षित हो रही है। जैव प्रौद्योगिक महाविद्यालय के बी–टैक विद्यार्थियों को देश–विदेश की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है परन्तु औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम को लापरवाही से संचालित किया जाना चिन्ताजनक है। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कतिपय शिक्षकों द्वारा अनुमन्य ड्यूटी लीव से अधिक का उपभोग करने पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी।''

मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाये रखने की अपेक्षा की गयी तथा इस सम्बन्ध में परिषद की आगामी बैठक में निर्देशों के अनुपालन हेतु की गयी कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्रवाई:–कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या–30.7 अन्य बिन्दु

विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 तथा बकाया भुगतान के सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श किया गया। श्रमिकों का धरना जारी रहने पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी। श्रीमती संगीता राहुल द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय को श्रम विभाग में पंजीकृत कराना चाहिए तथा इसके उपरान्त ही सेवा प्रदाता का पंजीकरण श्रमिक विभाग में किया जायेगा। मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय का पंजीकरण श्रम विभाग में तत्काल कराने के निर्देश दिये गये।

श्री सत्येन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक द्वारा उक्त सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनाँक 07 जून, 2013 के प्रस्ताव संख्या–2.8 पर निम्न निर्णय लिया गया:–

01/7/16 01/7/16

"विश्वविद्यालय में ठेके के आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों की मजदूरी रू0 160 से रू0 200 तथा रू0 120 से रू0 150 प्रतिदिन करने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श करने के उपरान्त संस्तुति की गयी कि विश्वविद्यालय स्तर पर गठित मानव दिवस निर्धारण समिति से विभिन्न महाविद्यालयों, कार्यालयों, केन्द्रों एवं प्रक्षेत्रों पर उक्त श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण संकलित करते हुए उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों को सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराया जाये तथा उ0प्र0 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये।"

(कार्रवाईः कुलसचिव, अध्यक्ष मानव दिवस आवंटन समिति)

माननीय प्रबन्ध परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 15 जून, 2013 के प्रस्ताव संख्या–22.6 पर निम्न निर्णय लिया गयाः–

"माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गयी।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त समिति/मा0 प्रबन्ध परिषद के निर्णय के अनुसार ही दिनाँक 01 जनवरी, 2014 से दिनाँक 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए कुलसचिव/अध्यक्ष, मानव दिवस आवंटन समिति द्वारा इन्डेन्टर के रूप में टेण्डर की समस्त शर्ते तैयार कर विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति/केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया आयोजित करते हुए मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के आधार पर कुशल/अकुशल/फार्म श्रमिकों सम्बन्धी कार्य सेवा प्रदाता के आधार पर कराया गया तथा मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त ही कुलसचिव/अन्य अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु देयक वित्त नियंत्रक कार्यालय को समय–समय पर प्रस्तुत किये गये। कुलसचिव/अधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले देयकों का भुगतान वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा नियमानुसार किया गया है।

इसके उपरान्त दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से कुशल/अकुशल श्रमिकों हेतु इन्डेंटर के रूप में कुलसचिव द्वारा टेण्डर की शर्ते तैयार करते हुए विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति/केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया आयोजित करायी गयी तथा मा0 कुलपति जी

01/4/16 01/4/16

द्वारा न्यूनतम दर के आधार पर प्रस्ताव को नियमानुसार अनुमोदित किया गया। उक्त प्रक्रिया में उ0प्र0 शासन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है तथा किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता नहीं बरती गयी तथा समस्त कार्य एवं भुगतान नियमानुसार सम्पादित किये गये एवं सम्पादित किये जा रहे हैं। इन समस्त कार्यों को सम्पादित कराने एवं भुगतान कराने की प्रक्रिया में वित्त समिति/मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा पारित निर्देशों तथा उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय के समस्त नियमों एवं परिनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए कार्रवाई की गयी है।

मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा धरनारत कुशल/अकुशल श्रमिकों के प्रतिनिधि से श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। कुशल/अकुशल श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय निम्न समिति गठित करने का निर्णय लियाः–

1. श्रीमती संगीता राहुल, सदस्य, मा0 प्रबन्ध परिषद
2. डा0 महेश कौशिक, सदस्य, मा0 प्रबन्ध परिषद
3. जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा नामित उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा का अधिकारी

समिति द्वारा 01 सप्ताह में निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगीः–

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि में किये गये कार्यों का सत्यापन।
2. उक्त कार्यों को कराने में कुशल/अकुशल श्रमिकों की संख्या का सत्यापन
3. 02 माह से लम्बित मजदूरी का प्राथमिकता पर भुगतान।
4. कुशल/अकुशल श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान
5. कुशल/अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान
6. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0एस0आई0 सुविधा दिया जाना।
7. कुशल/अकुशल श्रमिकों को ई0पी0एफ0 का भुगतान

कुलपति/अध्यक्ष/मा0 प्रबन्ध परिषद से अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कुशल/अकुशल/फार्म आदि श्रमिकों का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दिनाँक तक किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाईः सचिव, प्रबन्ध परिषद)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

01/7/16

(सत्येन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित

01/7/16

(डा0 हरि शंकर गौड़)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद